न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 26/2009/अपील

चुन्नीलाल पुत्र लिछमण,जाति जाट, निवासी बजाज ग्राम सांवली, तहसील व जिला सीकर (राज.)। अपीलान्ट

बनाम

1. लिछमणराम पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी बजाज ग्राम सांवली, तहसील व जिला सीकर।
2. रामदेवसिंह पुत्र नन्दाराम, जाति जाट, निवासी मण्डावरा, तहसील व जिला सीकर। रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः—
1. श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस् की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट विरूद्व
नामान्तरकरण संख्या 142, दिनांक 19.06.2009
ग्राम बजाज तन सांवली द्वारा नायब तहसीलदार सीकर

निर्णय

सुनवाईः 15-10-2019 दिनांकः 15-10-2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि :—

(1) भूमि खसरा नम्बर 839, 844, 844/893, 989/842, 991/843 कुल किता 5 कुल रकबा 4.48 हैक्टेयर तन ग्राम बजाज ग्राम सांवली तहसील व जिला सीकर स्थित है। जिसमें गत खसरा नम्बर 248 रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा है एवं भूमि खसरा नम्बर 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 43, 44, 19, 46 कुल किता 11 कुल रकबा 5.68 हैक्टेयर तन ग्राम सालमसिंह की ढ़ाणी स्थित है जिसका गत खसरा नम्बर 41 है। उक्त आराजीयात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य खातेदारान व हिस्सेदारान की पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमियां हैं जिनका अभी तक नियमानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं हुआ है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

(2) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलान्ट के भाई जैसाराम, भगवानाराम एवं सांवरमल ने बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर रखा है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से विवादग्रस्त आराजीयात विक्रय करने व अन्य तरीके से स्थानान्तरित कराने पर आमादा होने पर अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर में विक्रय रहन या अन्य तरीके से मुन्तकिल न किये जाने हेतु दावा व प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश प्रस्तुत किया जिसमें सहायक कलक्टर सीकर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलान्ट के 1/5 हिस्से तक उक्त आराजीयात बेचान करने से बाज रहने हेतु दिनांक 19.01.2009 को आज्ञा पारित की व उक्त स्थगन आदेश आजतक प्रभावी है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करते हुए दिनांक 29.05.2009 को आराजी खसरा नम्बर 839, 844 एवं 991/843 कुल किता 3 कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर में से अपने हक में अंकित 1/6 सम्पूर्ण हिस्से का एक बेचान पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हक में तस्दीक व तकमील कर दिया व उक्त सर्वथा अवैध एवं शुन्य विक्रय पत्र के आधार पर सर्वथा गलत व विरूद्व कानून अधीनस्थ नायब तहसीलदार सीकर ने अपील आज्ञा दिनांक 19.06.2009 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 142 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में स्वीकार कर दिया।

(3) भूमि विक्रय व विरासत सम्बन्धी नामान्तरकरण तस्दीक या अस्वीकार करने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तकरण प्रस्तुत करने के बाद 45 दिन की अवधि में नामान्तरकरण पर कोई आज्ञा पारित न करने पर ही सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण ग्राम पंचायत से तहसीलदार को भेजने पर ही नामान्तरकरण स्वीकार करने का अधिकार है। अधीनस्थ नायब तहसीलदार सीकर ने नामान्तरकरण स्वीकर करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी। अतः आज्ञा व नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

(4) विक्रय पत्र तस्दीक करवाने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं था फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में अपनी सम्पूर्ण भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है जो न्यायालय के स्थगन आदेश के प्रभावी रखते हुए किया हुआ होने व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का विवादित आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं होने से आज्ञा निरस्तनीय है।

(5) अधीनस्थ नायब तहसीलदार सीकर ने न तो कब्जे की जांच की और ना ही विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया। विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2009 आराजी खसरा नम्बर 839, 844 एवं 991/843 के 1/6 में से हिस्से का था जबकि नामान्तरकरण विकेता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के 1/6 में से 1/5 को छोड़ते हुए शेष रकबे का स्वीकार किया है जो विक्रय पत्र के भी विरूद्व है। उक्त आदेश पारित करने

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(प्रज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Copy Not Official

Scanned by CamScanner

का नायब तहसीलदार सीकर को कोई अधिकार नहीं था और इससे स्पष्ट है कि विक्रय पत्र के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कोई कब्जा नहीं है। अविभाजित आराजीयात में केता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कोई विशेष स्थान का दिया जाना कतई सम्भव नहीं था।

(6) अधीनस्थ सहायक कलक्टर सीकर ने प्रार्थना पत्र उनवान चुन्नीलाल बनाम लिछमण आदि मु. नं. 25/2008 में दिनांक 19.01.2008 को स्थगन आदेश जारी किया है। उक्त आदेश आज भी जारी है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेसपोडेन्ट संख्या 2 के हक में अपने सम्पूर्ण 1/6 हिस्से काविक्रय पत्र तस्दीक करवाया है। उक्त कार्यवाही न्यायालय की अवमानना की तारीफ में आती है लेकिन अधीनस्थ सहायक कलक्टर सीकर ने स्वयं अपने द्वारा पारित स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए अपने आदेश कमांक 2585 दिनांक 03.06.2009 के द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार करने की आज्ञा प्रदान कर दी जबकि सहायक कलक्टर सीकर को इस तरह का आदेश पारित करने का कानूनन अधिकार नहीं था।

अतः अपील अपीलांटस् प्रस्तुत कर निवेदन है कि नायब तहसीलदार सीकर की आज्ञा दिनांक 19.06.2009 जिसमें नामान्तरकरण संख्या 142 को स्वीकार किया है, निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस् की ओर श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलांटस् ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ नायब तहसीलदार सीकर ने न तो कब्जे की जांच की और ना ही विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया। विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2009 आराजी खसरा नम्बर 839, 844 एवं 991/843 के 1/6 में से हिस्से का था जबकि नामान्तरकरण विकेता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के 1/6 में से 1/5 को छोड़ते हुए शेष रकबे का स्वीकार किया है जो विक्रय पत्र के भी विरूद्व है। उक्त आदेश पारित करने का नायब तहसीलदार सीकर को कोई अधिकार नहीं था और इससे स्पष्ट है कि विक्रय पत्र के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि नायब तहसीलदार सीकर की आज्ञा दिनांक 19.06.2009 जिसमें नामान्तरकरण संख्या 142 को स्वीकार किया है, निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(राज मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने आपत्ति प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 29.05.2009 के विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र में वर्णित कृषि भूमियों का दर्ज एवं स्वीकृत किया गया था। उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने के लिए न्यायालय सिविल न्यायाधीश सीकर के समक्ष अपीलान्ट चुन्नीलाल ने दावा संख्या 87/2011 उनवान चुन्नीलाल बनाम रामदेव आदि प्रस्तुत किया था। उक्त वादपत्र का गुणावगुण पर दिनांक 08.01.2009 को निर्णय किया जाकर चुन्नीलाल के वादपत्र को खारिज किया है तथा चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण में वर्णित विक्रय–पत्र को वैध एवं प्रभावी मान्य किया है। इस स्थिति में अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 29.05.2009 के विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र में वर्णित कृषि भूमियों का दर्ज एवं स्वीकृत किया गया है। उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने के लिए न्यायालय सिविल न्यायाधीश सीकर के समक्ष अपीलान्ट चुन्नीलाल ने दावा संख्या 87/2011 उनवान चुन्नीलाल बनाम रामदेव आदि प्रस्तुत किया था। उक्त वादपत्र का गुणावगुण पर दिनांक 08.01.2009 को निर्णय किया जाकर चुन्नीलाल के वादपत्र को खारिज किया है तथा चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण में वर्णित विक्रय–पत्र को वैध एवं प्रभावी मान्य किया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्व ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त नामान्तरकरण में कोई त्रुटि है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक **19.06.2009** में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज **दिनांकः 15 अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner